

सं.11014/02/2021-रा.भा.(प.)
 गृह मंत्रालय
 राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, चौथा तल,
 जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
 दिनांक: 30 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह - पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना - वर्ष 2020-21।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर हिंदी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

2. राजभाषा विभाग के संकल्प सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति), दिनांक 25 मार्च, 2015 के अनुपालन में हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' में इस योजना में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' में इस योजना में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं।

3. इस पुरस्कार योजना के पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार हैं:-

- (क) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए।
- (ख) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का कम से कम 80% होना चाहिए।
- (ग) पत्रिका के 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोडिड ई-पत्रिका भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है।

मूल्यांकन पद्धति

4. पत्रिका के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 130 अंक रखे गये हैं। इन अंकों का विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	मद	अंक
1.	पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता	20
2.	सरकारी कामकाज में उपयोगिता	30
3.	भाषा, शैली एवं प्रस्तुतिकरण	20
4.	विन्यास, साज-सज्जा, कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण-स्तर	20
5.	आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात	10
6.	छपे लेखों की मौलिकता	30
	कुल अंक	130

5. ऐसे समस्त मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय / सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार के लिए प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक हैं तथा पैरा 03 में उल्लिखित आर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/03/2021 के बीच की अवधि में प्रकाशित अथवा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोडिड गृह पत्रिका के श्रेष्ठ दो अंकों की 5-5 प्रतियों के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुलग्न) में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर अंतिम तिथि **31 मई, 2021** तक राजभाषा विभाग को भेजने की कृपा करें।

मोहन लाल वाधवानी
(मोहन लाल वाधवानी)
निदेशक (पत्रिका)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रमों तथा बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
10. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
11. नीति आयोग, नई दिल्ली
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
14. संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली
15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक
16. वरिष्ठ निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राजभाषा विभाग- अनुरोध है कि इस ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दे।
17. राजभाषा विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयन कार्यालय।

अनुलग्नक

**गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग**

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2020-21 (वित्तीय वर्ष) में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना से संबंधित प्रपत्र ।

1. मंत्रालय/विभाग/सार्वजिक क्षेत्र के उपक्र/स्वायत्त निकाय/सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्था का नाम-----
2. नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम (जिससे अतिरिक्त सूचनार्थ किसी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट कराने हेतु संपर्क किया जा सके)-----
3. मुख्यालय का पूरा डाक पता (पिन सहित)-----
4. नोडल अधिकारी का ई-मेल आईडी-----
5. नोडल अधिकारी का दूरभाष-----
6. नोडल अधिकारी का मोबाइल नं.-----
7. नोडल अधिकारी का फैक्स नं.-----
8. भाषाई क्षेत्र की श्रेणी (क, ख तथा ग)-----
9. गृह पत्रिकाओं का नाम-----

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि----- (संगठन का नाम)
द्वारा प्रकाशित----- (गृह पत्रिका का नाम) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
भारत सरकार की गृह पत्रिका योजना, 2020-21 में भाग लेने के लिए निर्धारित पात्रता मापदण्डों के
अनुरूप है ।

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम-----
(पूरा नाम साफ शब्दों में लिखें)
पदनाम-----
मोहर-----

स्थान-----

तारीख-----